order Sheet [Contd]

1000 73/16SR

te of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where necessa

12-11-16 परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से सहायक -यंत्री / किनेष्ठ यंत्री अधिवक्ता श्री विकास कार्या उप0।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री नरेश किं 3116 उप० / आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री /किनष्ठ यंत्री ने अपने अधिवदत्ता सहित एक आवेदन पेश कर वेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा दिद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे!

ZASFU 30-1

EGFY \$0-2

डी०सी०थपलियाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0—19 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत आधिनयम ्रिटिट जिला भिण्ड TRATIAN'S

& Mar